

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0002-पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, विपत्र कोड सं०-48-2217-01-001-0002 अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल ₹12,00,000.00 (बारह लाख रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-01- राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0002-पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, विपत्र कोड सं०-48-2217-01-001-0002 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद अंतर्गत तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल ₹12,00,000.00 (बारह लाख रुपये) मात्र पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के लिए निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष 0002 का विषय शीर्ष	कुल स्वीकृत राशि
1	0002.06.01- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	12,00,000.00
	कुल	12,00,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹12,00,000.00 (बारह लाख रुपये) मात्र।

2. स्वीकृत राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के PL खाता सं०-PBBPLA001 में CFMS के माध्यम से Inter Department विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

4. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98, पत्रांक-227 दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक-191 दिनांक-16.02.2026 के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए की जायेगी।

5. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०-48-2217010010002 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ का अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाए अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकास एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-2ब0/नांसु0-03-02/21 के पृष्ठ सं0-.....31...../टि0 पर दिनांक-~~24/02/26~~ को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं0-...32/टि0 पर दिनांक-~~24/02/26~~ को प्राप्त है।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2ब0/नांसु0-03-02/21 506 /न0वि0एवं आ0वि0/पटना, दिनांक-28/2/26

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/अवर सचिव, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।